न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 33/2025(GCMS 2025/199)

(RTI No. 212247309105214)

राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल उम्र 74 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर **हाल पता चैम्बर नं. बी–64, कलक्टर परिसर, श्रीगंगानगर**

बनाम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर, (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2024 से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचना सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील हैं।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

संभागीय आयुक्त, बीकानेर के पत्रांक 907/908 दिनांक 02.09.2021 में अंकित क्रम संख्या 1 से 10 में अंकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी के पत्रांक व दिनांक की नियम की वांछित सूचना

क्र.सं.	पत्र क्रमांक व दिनांक	संलग्न अपीलों की संख्या
1	8135 Dt . 19.06.2021	8
2	8166 Dt . 22.06.2021	12
3	8042 Dt . 14.05.2021	1
4	शून्य Dt . 21.06.2021	14
5	8038 Dt . 16.05.2021	01
6	8170A Dt . 26.06.2021	01
7	8036 Dt . 16.05.2021	01
8	शून्य Dt . 25.06.2021	
9	8108 Dt . 23.06.2021	1
10	8107 Dt . 23.06.2021	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:45 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./––/2025/347 दिनांक 26.05.2025 से अवगत करवाया है

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 33/2025
(GCMS No. 2025/199)
(RTI No. : 212247309105214)

कि अपीलार्थी की अपील प्र.अ. जन अभाव अभियोग **निराकरण एवं** सतर्कता **समिति, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण, उन्होनें अपने पत्रांक 675 दिनांक 19.12.2024 से उन्हें लिखा दिया था। प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर** ने अपने पत्रांक एफ/सतर्कता/2025/67 दिनांक 27.05.2025, जो कि अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को संदर्भित, से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया हैः

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल पता चैम्बर नं. बी–64 कलक्टर परिसर, श्रीगंगानगर 335001 द्वारा सूचना नहीं देने के कारण श्रीमान्जी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 20.03.2025 प्रस्तुत की है, जिसका जवाब निम्नानुसार है –
>
> आवेदनकर्त्ता श्री राधेश्याम गोयल द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दिये गये आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2024 के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 04 दिनांक 15.01.2025 रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया गया था, जो संलग्न है। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 01 से अधिक विभागों को मूल ही नियमानुसार कार्यवाही हेतु भिजवाई गई थी। 01 से अधिक विभाग होने के कारण नियमानुसार अंतरित किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थी को संबंधित विभागों में नियमानुसार आवेदन कर सूचना प्राप्त करने बाबत सूचित किया जा चुका है।

प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है,** सामग्रियों से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 33/2025
(GCMS No. 2025/199)
(RTI No. : 212247309105214)

"सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **प्रभारी अधिकारी सर्तकता एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं, फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को, उसके द्वारा वांछित सूचना से सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख/पत्रावली का अवलोकन करवा देवें एवं अपीलार्थी यदि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख/पत्रावली में से कोई सूचना चाहे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:45 IST
Reason: SelfAttested